<u>न्यायालय संख्या–1</u>

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही–ज्ञानपुर।

सत्र परीक्षण संख्या–112 सन् 2014 ई0

सरकार बनाम गौरीशंकर आदि।

<u>23-03-2017</u>

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। पूर्व तिथि पर प्रार्थनापत्र 18 ख एवं आपत्ति का0 सं0–22 ख पर उभयपक्ष को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण गौरीशंकर एवं रविशंकर उपस्थित।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गौरीशंकर मिश्रा व रविशंकर मिश्रा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 18 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने वादी मुकदमा के प्रभाव में होकर झूॅठा आरोपपत्र प्रेषित किया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने कहा है कि मेरी पत्नी मुझे बचाने आयी तो उसी बीच गौरीशंकर, संजय कुमार व खन्नू ने एक साथ गोली चला दी, और गोली हमारी पत्नी के पेट में कमर में जा लगी, जिससे हमारी पत्नी छटपटाने लगी, इस बीच गांव वाले जब गोली की आवाज सुनकर दौड़े तो वे लोग अपने घर में आग लगाकर भाग गये, जिस पर प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 18.072015 को समय 7–10 बजे अपराध संख्या–69 ए/13 धारा 146, 148, 307, 323, 504 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत दर्ज हुआ, जिसमें दिनांक 18.08.2013 को प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 307, 323, 504 भा0 दं0 सं0 में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 10.09.2013 को वादी की पत्नी चन्द्रकला की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् विवेचनाधिकारी ने अग्रिम विवेचना का कार्य सम्पादित करते हुये दिनांक 09.11.2013 को प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 302, 307, 323, 504 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत पुनः आरोपपत्र प्रेषित कर दिया। दिनांक 18.07.2013 को सुबह 6 बजे प्रार्थी का लड़का राजेश कुमार घर के पास स्थित धान के खेत में गोबर फेंक रहा था। इतने में विनोद चौहान व उनकी पत्नी चन्द्रकला व उनके

साथ प्रार्थी के गांव के चौहान बिरादरी के लोग, जिसमें महिलायें भी थी, एक साथ यह कहते हुये कि एक घर ब्राम्हण होकर साला आंख दिखा रहा है, हांथ में लाठी डण्डा टंगारी व कट्टा लेकर उसके घर के दरवाजे पर चढ़ आये और उसे व उसके परिवार वालों को जान से मारने की नियत से मारने लगे, जब उसका लड़का रविशंकर घर के अन्दर भागा तो विनोद कुमार ने कट्टें से गोली मार दिया, जिसका छर्रा रविशंकर व राजेश को लग गया। प्रार्थी व उसके परिवार के सभी सदस्य घर के अन्दर घुसकर घर का दरवाजा बन्द कर लिए, तब विनोद कुमार आदि ने उन लागों को जान से मारने के लिए यह कहते हुये कि हम लोग इन सालों को आज जिन्दा नहीं छोड़ना है, उसके घर का दरवाजा तोड़ने लगे और उसके मकान में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिये। इन्जन तोड़कर नष्ट कर दिये व मोटरसाइकिल जला दिया। इस बीच थाना चौरी की पुलिस प्रार्थी क घर पहुंच गयी, तब भी वे लोग ईट, पत्थर चलाते रहे। विनोद आदि लोग दरोगा जी से भिड़ गये। घर में आग लगने की वजह से उसके घर के अन्दर धुंआ भर गया, जिससे उसका व उसके परिवार वालों का दम घुट रहा था। इसी बीच सी0ओ0 औराई मौके पर पहुंच गये और उन्होने उन लोगों की फाटक खेलकर जान बचायी। उक्त घटना की लिखित सूचना थाना चौरी में दिया, जिस पर थाना चौरी ने विनोद कुमार आदि के विरूद्ध अपराध संख्या–69/13, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506, 436 व 427 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। क्रासकेस बनाने के लिए वादी ने उन लोगों के ऊपर झूॅंठा केस दर्ज कराया है। विनोद कुमार आदि ने पुलिस वालों को भी मारा पीटा, एस0ओ0 चौरी का पिस्टल भी छीनने का प्रयास किया, जिसके सम्बन्ध मेंः थानाध्यक्ष चौरी ने विनोद कुमार आदि के विरूद्ध अपराध संख्या–70/2013, अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 353, 332, 336, भा0 दं0 सं0 व 7 सी0एल0एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी पत्रावली भी इस न्यायालय में चल रही है। विनोद कुमार ने उसे जान से मारने की नियत से गोली चलायी, जो संयोगवश विनोद कुमार की पत्नी चन्द्रकला को लग गयी। प्रार्थी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने चन्द्रकला को गोली नहीं मारी। रंजिशन झूॅंठे मुकदमे में फंसाया गया है। वादी

की पत्नी चन्द्रकला का ईलाज जीवनधारा हास्पिटल में हुआ। दवा इलाज व डिस्चार्ज स्लिप व डायगोनिसेस सेन्टर की रिपोर्ट जो विवेचक द्वारा आरोपपत्र के साथ प्रेषित किया गया है, चन्द्रकला की चोट में सुधार होने के बाद चन्द्रकला को दिनांक 29.07.2013 को डिस्चार्ज किया गया तथा डायग्नोसिस सेन्टर की रिपोर्ट भी चन्द्रकला के शारीरिक परीक्षण में सामान्य बतायी गयी है। दिनांक 29.07.2013 के बाद से वादी द्वारा जानबूझकर प्रार्थीगण को मुकदमे में फंसाने के लिए चन्द्रकला का दवा इलाज बन्द कर दिया गया, जिससे चन्द्रकला मर जाय और प्रार्थीगण के ऊपर हत्या का आरोप लग सके। दिनांक 29.07.2013 के बाद का चन्द्रकला की कोई भी दवा इलाज की रसीद या रिपोर्ट पत्रावली में विवेचक द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। धारा 299 भा0 दं0 सं0 को स्पष्टीकरण 2 में वर्णित है, जहॉ कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गयी है वहां जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने मृत्यु कारित की है यह समझा जायेगा यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोंकी जा सकती थी। प्रार्थीगण का अपराध धारा 300 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के ऊपर धारा 302 भा0 दं0 सं0 का आरोप नहीं बनता। तदैव उन्मोचित करने की याचना की गयी।

वादी की ओर से आपत्ति का0 सं0–22 ख दाखिल करके कथन किया गया है कि अभियुक्तगण गौरीशंकर, रविशंकर व इनके साथ राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल व गौरीशंकर के लड़के खुन्नू व राजन ने एक नाजायज गोलबन्दी कायम करके दिनांक 18.07.2013 को वादी विनोद कुमार व उसकी पत्नी चन्द्रकला को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल ने ललकारा कि साले को गोली मार दो, इस पर उक्त पाचों अभियुक्तगण विनोद कुमार के ऊपर टूट गये और उसे लाठियों से मारने लगे और उसे बचाने जब उसकी पत्नी चन्द्रकला आयी तो उपरोक्त अभियुक्तगण गौरीशंकर, खन्नू, राजकुमार उर्फ मैनेजर ने चन्द्रकला के ऊपर कट्टे से फायर कर दिया। कट्टे की गोली चन्द्रकला के पेट में लगी। पुलिस ने गलत तौर पर राजकुमार उर्फ मैनेजर शुक्ल व टन्नू व राजन को मुकदमें से निकाल दिया और मात्र गौरीशंकर, रविशंकर उर्फ खन्नू के विरूद्ध ही आरोपपत्र

प्रेषित किया। वादी मुकदमा या उसके परिवार के लोगो ने अभियुक्त गौरीशंकर की तरफ के लोगों को न मारा पीटा, न कोई घटना कारित किया, न ही आग लगायी और न ही किसी प्रकार की फायरिंग करके चोट पहुंचायी। अभियुक्तगण की तरफ से झूॅंठे तथ्यों के साथ मुकदमा कायम किया गया है। चन्द्रकला को गोली फायर आर्म की है और उसके वाइटल पार्ट पर है। उसी चोट के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। गोली की चोट लगने के कारण बराबर अस्पताल में चन्द्रकला का इलाज हो रहा था। दौरान इलाज अस्पताल में ही चन्द्रकला की मृत्यु हुई। तदैव अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 307, 323, 504 भा0 दं0 सं0 का बखूबी बनता है। तदैव अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 18 ख निरस्त करने की याचना की गई।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 307, 323, 504 भा0 दं0 सं0 में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। धारा 302 भा0 दं0 सं0 का कोई अपराध नहीं बनता है। वादी मुकदमा विनोद कुमार ने अपनी तहरीर में यह कथन किया है कि ''इसके बाद वे लोग अवैध असलहा लाठी डण्डा लेकर टूट पड़े। मेरी पत्नी मुझे बचाने के लिए आगे आ गयी और उसी बीच गौरीशंकर, संज कुमार व खन्नू ने एक साथ गोली चला दी और गोली हमारी पत्नी के पेट में कमर में जा लगी, जिससे हमारी पत्नी गिरकर छटपटाने लगी।'' प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा की पत्नी चन्द्रकला तहरीर के अनुसार वादी मुकदमा को बचाने के लिए अचानक आगे आयी जिससे उन्हें गोली लगी। चन्द्रकला की आघात आख्या का0 सं0-9 अ/2 में दो चोटें प्रदर्शित हैं। प्रथम चोट-Entry wound 3.5 सेमी0x2.5 सेमी0 तथा दूसरी चोट-Entry wound 2 सेमी0x1.5 सेमी0 है। तहरीर में घटना का कोई समय नहीं दिया गया है। चन्द्रकला को जान से मारने की नियत का उल्लेख तहरीर में नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.07.2013 को समय 7.10 बजे दर्ज करायी गयी है। घटना के पश्चात् चन्द्रकला दिनांक 18.07.2013 से लेकर दिनांक 29.07.2013 तक जीवनधारा हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्ट भदोही में भर्ती रही। दिनांक 29.07.2013 को चन्द्रकला को डिस्चार्ज किया गया।

दिनांक 02.08.2013 को चन्द्रकला को पुनः जीवनधारा अस्पताल में डाक्टर को दिखाया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर सुन्दरलाल चिकित्सालय वाराणसी में पुनः चन्द्रकला दिनांक 27.08.2013 को भर्ती हुयी तथा दिनांक 10.09.2013 को उसकी मृत्यु हो गयी। घटना के काफी दिन बाद चन्द्रकला की मृत्यु हुयी, इसलिए धारा 302 भा0 दं0 सं0 का अपराध नहीं बनता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना की तहरीर उसी दिन दिनांक 18.07.2013 को दर्ज करायी गयी है। जीवनधारा अस्पताल से दिनांक 29.07.2013 को चन्द्रकला को डिस्चार्ज किया गया। दवा चलती रही। डाक्टर को परामर्श के लिए दिखाया जाता रहा। स्थिति गम्भीर होने पर पुनः दिनांक 27.08.2013 को सर सुन्दरलाल चिकित्सालय वाराणसी में भर्ती किया गया एव दिनांक 10.07.2013 को अस्पताल में चन्द्रकला की मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण–Septisemic shock as a result of infected wound पाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि घटना में गोली से लगी चोटों के कारण चन्द्रकला की मृत्यु हुयी। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित करने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य है।

नकल तहरीर का0 सं0–5 अ के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतका चन्द्रकला अपने पति को बचाने के लिए आगे आ गयी और उसी बीच गौरीशंकर, संज कुमार व खन्नू ने एक साथ गोली चला दी, गोली चन्द्रकला के कमर में जा लगी। चन्द्रकला दिनांक 18.07.2013 से 29.07.2013 तक जीवनधारा अस्पताल में भर्ती रही। दिनांक 29.07.2013 से 26.08.2013 तक किसी अस्पताल में भर्ती नहीं रही। पुनः दिनांक 27.08.2013 को सर सुन्दरलाल अस्पताल, वाराणसी में भर्ती रही और उसी अस्पताल में दिनांक 10.09.2013 को चन्द्रकला की मृत्यु हुयी। Septisemic shock as a result of infected wound पंचायतनामा दिनांक 11.09.2013 को लिखा गया। पंचायतनामा में राय पंचान में यह उल्लेख किया गया है कि चन्द्रकला की मृत्यु गोली लगने से हुयी है। पोस्टमार्टम

रिपोर्ट में मृत्यु का कारण– Septisemic shock as a result of infected wound पाया गया है। पत्रावली पर संलग्न पुलिस प्रपत्र एवं चन्द्रकला के चिकित्सीय प्रपत्रों के अवलोकन तथा उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 भा0 दं0 सं0 में इस स्तर पर आरोप विरचित करने का आधार नहीं है। घटना में आयी चोटों के कारण चन्द्रकला की मृत्यु हुयी। न्यायालय की राय में अभियुक्तगण को धारा 302 भा0 दं0 सं0 के स्थान पर धारा 304 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत आरोपित करना न्यायोचित होगा। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304, 307, 323, 504 भा0 दं0 सं0 में आरोप विरचित करने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तदनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 304, 307, 323, 504 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थनापत्र 18 ख तदनुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 18 ख इस प्रकार निस्तारित किया जाता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 304, 307, 323, 504 भा0 दं0 सं0 में आरोप विरचित करने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 03.04.2017 को पेश हो। नियत तिथि पर सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1,
भदोही–ज्ञानपुर।